

राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीतिको कैबिनेट से मली मंजूरी

चर्चा में क्यों?

1 अक्टूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नविस पर आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस नीतिके प्रावधानों के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सक्षम समिति जारी करेगी।
- ग्रीन हाइड्रोजन नीतिके प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन है।
- इसके अलावा इस नीतिके उद्देश्य हैं कारिफाइजरी एवं फर्टिलाइजर प्लांटों की मांग की पूर्तिके लिये न्यूनतम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाए। कम से कम एक गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के साथ ही भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का न्यूनतम 20 फीसदी राजस्थान से आपूर्ति हो तथा राज्य में उत्पादित नेचुरल गैस में 10 फीसदी तक ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग है।
- नई ग्रीन हाइड्रोजन नीतिके अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिये अक्षय ऊर्जा प्लांट स्थापना के लिये भूमिके आवंटन भू राजस्व नियम 2007 के अनुसार कथि जाएगा। हाइड्रोजन प्लांट के लिये भूमि औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा आवंटित की जाएगी। इसके अलावा नज्दी भूमि पर भी प्लांट स्थापित कथि जा सकता है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन नीतिके यह मल्लेगे प्रोत्साहन-**
 - नीतिके राजस्थान इन्वेस्टमेंट एवं प्रमोशन स्कीम के अनुसार लाभ देय होंगे। जल की उपलब्धता एवं अक्षय ऊर्जा उत्पादन का एक तहार्ड बैंकगि सुवधि भी मल्लेगी।
 - ग्रीन हाइड्रोजन के लिये अक्षय ऊर्जा प्लांट की कषमता को कॉन्ट्रैक्ट डमिंड से 2.5 गुना तक अनुमत कथि जाएगा।
 - प्लांट स्थापना पर प्रसारण एवं वतिरण शुल्क में 10 वर्ष तक 50 फीसदी की छूट मल्लेगी।
 - तीसरे पक्ष से अक्षय ऊर्जा करय करने पर अतिरिक्त एवं क्रॉस सब्सिडी सरचारज में 10 वर्षों तक छूट मल्लेगी।
 - ब्रायन वाटर या ट्रीटेड वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर राजकीय भूमि आवंटन में प्राथमकता दी जाएगी।
 - ग्रीन हाइड्रोजन उपकरण निर्माण की यूनिट के लिये राजस्थान इन्वेस्टमेंट एवं प्रमोशन स्कीम के अनुसार देय लाभ मल्लेगा।
 - अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिये लागत का 30 फीसदी अनुदान (अधिकतम 5 करोड रुपए तक) मल्लेगा।
 - आरवीएनएल के नेटवर्क पर स्थापित होने वाले प्रथम 500 केटीपीए तक अक्षय ऊर्जा संयंत्र को वशेष प्रोत्साहन मल्लेगा (प्रत्येक प्लांट की अधिकतम 50 वभाग मेगावाट कषमता तक)।